रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2000/चैत्र 31, 1922
No. 86] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2000/CHAITRA 31, 1922

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

संशोधन

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2000

संख्या एफ. 27(18) ई. ओ./99 (ए. सी. सी.).—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 03 मार्च, 1987 के संकल्प संख्या 27(21) ई. ओ./86-(ए. सी. सी.) में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित प्रतिस्थापन/परिवर्धन किए जाएं :—

(i) उपर्युक्त संकल्प के पैरा 3 के उप-पैरा (क) में विद्यमान शब्द, निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाएं :—

"सार्वजनिक क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी (निजी) क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र के किसी उद्यम का कोई विख्यात सेवारत अथवा पूर्व मुख्य कार्यपालक।"

(ii) उपर्युक्त संकल्प के पैरा 3 के उप-पैरा (ग) में विद्यमान शब्द, निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाएं :—

"कोई विख्यात सेवारत अथवा पूर्व सिविल कर्मचारी जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंध अथवा वित्त, उद्योग अथवा आर्थिक कार्यों के क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो।"

(iii) उपर्युक्त संकल्प के पैरा 3 के नीचे एक परन्तुक के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"परंतु लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड में अपनी नियुक्ति की तारीख को, केन्द्रीय अथवा राज्य-सरकार की सेवा में रहे लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के अध्यक्ष अथवा सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से, ऐसी सेवा से निवृत्त हुए समझे जाएंगे ।"

(iv) विद्यमान संकल्प के पैरा 7 के उप पैरा 3 के रूप में, निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"विशेष परिस्थितियों में, सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्यम में किसी पद विशेष/किन्हीं विशेष पदों पर नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति के पूर्व और विशेष अनुमोदन से लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के माध्यम से किए जाने के स्थान पर अन्यथा की जा सकती है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति, ऐसा अनुमोदन प्रदान करते समय, उस पद विशेष/उन विशेष पदों को भरे जाने हेतु अपनाई जाने वाली चयन-प्रक्रिया के साथ-साथ, उस पद विशेष/उन विशेष पदों हेतु उपयुक्त उम्मीदवार/उम्मीदवारों का चयन करने के लिए छानबीन-समिति, चयन-समिति अथवा सिविल सेवा-बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, जैसे निकाय भी विनिर्दिष्ट करेगी।"

(v) संकल्प के पैरा 7 के उप-पैरा 4 के रूप में, निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों और क्षमता की दृष्टि से रूग्ण उपक्रमों के संबंध में, संबंधित मंत्रालय/विभाग का प्रशासनिक सचिव, लोक-उद्यम-चयन-बोर्ड के अध्यक्ष के परामर्श से और मंत्रिमंडल-सचिव के अनुमोदन से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के अध्यक्ष -सह-प्रबंध-निदेशक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया के किसी भी चरण में, स्थायी तौर पर संविलयन संबंधी नियम के पालन पर बल दिए बिना ही, अखिल भारतीय/समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं में से किसी भी सेवा से किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर लेने का निर्णय ले सकते हैं।"

के. राजेन्द्रन नायर, स्थापना अधिकारी और अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
(Department of Personnel and Training)

AMENDMENT

New Delhi, the 19th April, 2000

No. F. 27 (18) EO/99(ACC).—In partial modification of the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training) Resolution No. 27(21)EO/86(ACC) dated 3rd March, 1987, the following replacements/additions shall be made :—

(i) The existing words in sub-para (a) of para 3 of the Resolution be replaced by the following :—

"A distinguished serving or former Chief Executive of a Public Sector or Private Sector or Joint Sector Enterprise"

(ii) The existing words in sub-para (c) of para 3 of the Resolution be replaced by the following :—

"A distinguished serving or former Civil Servant with experience in management of Public Sector Enterprises or in areas of finance, industry or Economic Affairs."

(iii) The following be introduced as a proviso below para 3 of the Resolution :—

"Provided that the Chairperson or a Member, who on the date of his appointment to the Public Enterprises Selection Board was in the service of the Central or a State Government, shall be deemed to have retired from such service with effect from the date of his appointment as Chairperson or member, as the case may be, of the Public Enterprises Selection Board".

(iv) The following be added to the existing Resolution as sub-para 3 of para 7 :—

"In special circumstances, the appointment to a particular post or posts in a Public Sector Enterprise may be made other than through the PESB with the prior and specific approval of the Appointments Committee of the Cabinet. The Appointments Committee of the Cabinet while granting such an approval, will also specify the body such as, Search Committee, Selection Committee, or the Civil Services Board, as the case may be, that shall make the selection for that particular post or posts, as well as the selection procedure to be followed for filling the particular post or posts."

(v) The following be added as sub-para 4 of para 7 :

"In respect of sick and potentially sick Public Sector Undertakings, the Administrative Secretary of the Ministry/Department concerned, in consultation with the Public Enterprises Selection Board and with the approval of the Cabinet Secretary, could take a decision at any stage in the process of recruitment to the post of Chairman, Managing Director or Chairman-cum-Managing Director of the Public Sector Enterprise, to take a person on deputation from any of the All India or Group "A" Central Services without insisting on the rule of immediate absorption."

K RAJENDRAN NAIR, Establishment Officer & Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054